रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937
No. 109] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/ MAGHA 28 , 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 फरवरी, 2016

सा.का.नि.176(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें मूल नियम कहा गया है) के नियम 115ड. में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"115ड. फ्लैक्स ईंधन इथनोल (ई-85) या (ई-100) और इथनोल (ईडी-95) यानों के लिए बृहत उत्सर्जन मानक -

3. मूल नियम के नियम 115ड. में, उपनियम 1, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(1) स्पार्क ईंधन इंजन से सुसज्जित नए विनिर्मित गैसोलीन यान जो गैसोलीन या गैसोलीन और इथनोल 85 प्रतिशत तक इथनोल संमिश्रण (ई-85) या गैसोलीन और इथनोल 100 प्रतिशत तक इथनोल संमिश्रण (ई-100) से चालन के लिए संगत हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फ्लैक्स ईंधन इथनोल यान कहा गया है), अभिभावी गैसोलीन उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित किस्म के होंगे ।"

4. मूल नियम के नियम 115ड. में, उपनियम 3, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"ई-85 या ई100 या ईडी95 के इथनोल संमिश्रण के स्तर के लिए यानों की संगतता को यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे स्पष्ट रूप से दृश्य स्टीकर लगाकर यान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

5. मूल नियम के नियम 115ड. में, उपनियम 4 की सारणी 1 और सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित, सारणीयां रखी जाएगी, अर्थात्:--

"सारणी 1

चार पहिया यानों, जिनका समग्र यान भार 3,500 किलोग्राम से कम या उसके बराबर है, के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार की परीक्षण अपेक्षाएं

क्रम सं.	परीक्षण	फ्लैक्स- ईंधन इथनोल यान
1.	गैसीय प्रदूषक (किस्म I परीक्षण)	गैसोलीन और ई-85 या ई100 ईंधन दोनों पर
2.	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (किस्म II परीक्षण)	गैसोलीन और ई-85 या ई100 ईंधन दोनों पर
3.	क्रेंककेस उत्सर्जन (किस्म III)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4.	वाष्पशील उत्सर्जक (किस्म IV)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5.	टिकाऊपन (किस्म V)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
6.	ऑनबोर्ड निदान (ओबीडी II)	गैसोलीन और ई-85 या ई100 ईंधन दोनों पर

सारणी 2

दुपहिया या तिपहिया यानों के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार की परीक्षण अपेक्षाएं

क्रम सं.	परीक्षण	फ्लैक्स- ईंधन इथनोल यान
1.	गैसीय प्रदूषक (किस्म I परीक्षण)	गैसोलीन और ई-85 या ई100 ईंधन दोनों पर
2.	निष्क्रिय और उत्सर्जन (किस्म II परीक्षण)	गैसोलीन और ई-85 या ई100 ईंधन दोनों पर
3.	क्रेंककेस उत्सर्जन (किस्म III)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4.	वाष्पशील उत्सर्जक (किस्म IV)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5.	टिकाऊपन (किस्म V)	केवल गैसोलीन ईंधन पर

IndiaCode

6. मूल नियम के नियम 115ड. में, उपनियम 4 के टिप्पण में मद (11) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(xii) "गैसोलीन के लिए विनिर्दिष्ट ईंधन उपाबंध 4ञ में विनिर्दिष्ट किया जाएगा; ई-100 यानों के लिए उपाबंध ध"।

7. मूल नियम में, उपाबंध 4-द के निम्नलिखित के पश्चात् उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

उपाबंध 4-ध

[115(ड) देखें]

निर्दिष्ट ईंधन ई-100 की तकनीकी विनिर्दिष्टियां (आईएस15464:2004 के अनुसार)

क्रम सं0	लक्षण	अपेक्षाएं
1.	15.6/15.6^0सें. पर आपेक्षिक घनत्व, अधिकतम	0.7961
2.	15.6/15.6^0सें. पर इथनोल मात्रा प्रतिशत का परिमाण, न्यूनतम (विकृतिकारक को छोड़कर)	99.5
3.	पानी के साथ मिश्रणियता	मिश्रणीय
4.	क्षारियता	कुछ नहीं
5.	अम्लता (CH_3COOH) मि.ग्रा./l, अधिकतम	30
6.	भार द्वारा वाष्पीकरण प्रतिशत पर अवशिष्ट, अधिकतम	0.005
7.	एल्डीहाइड मात्रा (CH_3CHO) मि.ग्रा./l, अधिकतम	60
8.	तांबा मि.ग्रा./kg, अधिकतम	0.1
9.	संचालता µS/m, अधिकतम	300
10.	मिथाइल अल्कोहोल, मि.ग्रा./लीटर, अधिकतम	300
11.	आविर्भाव	साफ और चमकीला"।

[सं. आरटी-11028/13/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड **3,** उपखंड **(i)** में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590**(**अ**),** तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं.**(**अ**),** तारीख द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 16th February, 2016

G.S.R.176(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby

given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2016

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as principal rules), in rule 115E, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"115E. Mass emission standard for flex-fuel ethanol (E85) or (E100) and ethanol (ED95) vehicles".

3. In the principal rules, in rule 115E, for sub-rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (1) The newly manufactured gasoline vehicles fitted with spark ignition engine compatible to run on gasoline or a mixture of gasoline and ethanol up to 85 per cent. ethanol blend (E85) or mixture of gasoline and ethanol up to 100 per cent (E100), (hereinafter referred to as flex-fuel ethanol vehicle), shall be type approved as per prevailing gasoline emission norms.".

4. In the principal rules, in rule 115E, for sub-rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E85 or E100 or ED95 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.".

5. In the principal rules, in rule 115E, in sub-rule 4, for the Table 1 and Table 2 the following Tables shall be substituted, namely:-

"Table 1

Test requirements for type approval and extension

For four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kg

Sr. No.	Test	Flex-fuel ethanol vehicle
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
2.	Idle and high idle emission (type II Test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
3.	Crankcase emission (Type III)	Only on Gasoline fuel
4.	Evaporative emissions (Type IV)	Only on Gasoline fuel
5.	Durability (Type V)	Only on Gasoline fuel
6.	Onboard diagnostics (OBD II)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel

Table 2
Test requirements for type approval and extension
For two or three wheeled vehicles

Sr. No.	Test	Flex-fuel ethanol vehicle
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
2.	Idle and emission (Type II Test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
3.	Crankcase emission (Type III)	Only on Gasoline fuel
4.	Evaporative emissions (Type IV)	Only on Gasoline fuel
5.	Durability (Type V)	Only on Gasoline fuel"

6. In the principal rules, in rule 115E, in sub-rule 4, in Notes, after item (XI), the following item shall be inserted, namely:-

"(xii) "The reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for gasoline; Annexure S for E100 vehicles.".

7. In the principal rules, after ANNEXURE IV-R, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE IV-S

[See rule 115(E)]

Technical specifications of the reference fuel E100(As per IS15464:2004)

Sr. no.	Characteristic	Requirement
1	Relative density at 15.6/15.6 ^{O}C, max	0.7961
2	Ethanol content percent by volume at 15.6/15.6 ^{O}C, min (excluding denaturant)	99.5
3	Miscibility with water	Miscible
4	Alkalinity	Nil
5	Acidity (as CH_3COOH) mg/l, max	30
6	Residue on evaporation percent by mass, Max	0.005
7	Aldehyde content (as CH_3CHO) mg/l, max	60
8	Cooper mg/kg, max	0.1
9	Conductivity, µS/m, max	300
10	Methyl alcohol, mg/litre, max	300
11	Appearance	Clear and bright".

[No. RT-11028/13/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number _____(E) dated_____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.